(5)

न्यायालय राजस्व मण्डल न्यायाधीश महोदय ग्वालियर कैम्प भोपाल (म. प्र.)

प्र. क्र. निग - 3171 - I - 16

तुलसीराम पुत्र तुलाराम जाति कुशवाह
आयु 42 साल धंधा कृषक निवासी ग्राम
बलियाखास तहसील ग्यारसपुर जिला विदिशा

... निगरानीकर्ता/अपीलार्थी

(144)

श्री तुलसीराम स्वयं द्वारा आज दि० 27/8/16 को प्रस्तुत।

27/8/16

अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर
भोपाल संभाग, भोपाल

बनाम

म. प्र. शासन ... रिस्पाडेण्ट

आवेदन (म. प्र.) राजस्व संहिता की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी दिनांक 25. 6. 2016 को न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल द्वारा पारित किए आदेश से दुखी व त्रस्त होकर यह अपील प्रस्तुत है :-

माननीय महोदय,

अपील के तथ्य इस प्रकार हैं :- अपीलार्थी/निगरानीकर्ता द्वारा इस आशय का अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया था कि अपीलार्थी बलियाखास का कृषक होकर सर्वे क्र. 138 का भूमि स्वामी है, जो कि पूर्व सर्वे नं. 98, 99, 100 को मिलाकर निर्मित किया गया था । आवेदक क्र. 2, 3, 4 आवेदक की बहिनें हैं, जिनका विवाह हो चुका है । वर्तमान में आवेदक ही उक्त भूमि पर काबिज होकर खेती कर कृषि उपज प्राप्त करता चला आ रहा है । सर्वे क्र. 138 में से कुछ रकबा आवेदकगण के स्वर्गीय पिता तुलाराम ने विक्रय कर दिया था, जिसके आधार पर इसी भूमि के बटान कायम किए गए थे वर्तमान में आवेदक के पास सर्वे क्र. 138/2 है, को अलग करके नक्शे में छोटा कर दिया गया है, जबकि मौके पर पूरी जमीन पर काबिज है। आवेदक का नक्शा सन 1949 में तैयार किया गया व उसके उपरान्त 1968-69 में बंदोबस्त के दौरान तैयार किया गया नक्शा पूर्ण भिन्न है । सन 1949 में निर्मित नक्शे अनुसार आवेदक सर्वे नं. 98, 99, व 100 पर काबिज रहा था । साथ ही जब 1968-69 में राजस्व अधिकारियों ने बंदोबस्त किया तो आवेदक को बिना किसी सूचना के गलत नक्शा तैयार कर दिया है । जिसके कारण आवेदक का नक्शा वर्तमान मूल भूमि से भिन्न हो गया है । जिसमें आर.आई. ग्यारसपुर द्वारा दिनांक

तुलसीराम ..2..

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3171-एक/16 जिला - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12/9/18	प्रकरण का अवलोकन किया यह निगरानी अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के प्रकरण क्रमांक 197/अपील/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 25.06.2016 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है। 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि खसरा नं. 138 कुल रकवा 53 बिस्वा के नक्शा दुरुस्ती हेतु एक आवेदन कलेक्टर विदिशा के समक्ष प्रस्तुत किया। जिस पर कार्यवाही करते हुए अपर कलेक्टर ने तहसीलदार ग्यारसपुर से प्रतिवेदन मंगाया जाकर अपने आदेश दिनांक 16.12.2013 द्वारा आवेदक का आवेदन निरस्त किया। जिसके विरुद्ध अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो उनके आदेश दिनांक 25.06.2016 द्वारा निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है। 3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार ग्यारसपुर द्वारा तैयार किया गया प्रतिवेदन को पूर्णतः अनदेखा कर आदेश पारित किया है, जो कि गलत है। जबकि सर्वे नं. 59 के भूमि स्वामियों को उक्त नक्शा दुरुस्ती में कोई आपत्ति नहीं है। तहसील न्यायालय द्वारा जांच के दौरान उन्हें विधिवत सूचना-पत्र जारी किए गए थे, जिसकी तामील चस्पीदगी से कराई गई है। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उक्त प्रकरण राजस्व अधिकारियों द्वारा गलत नक्शा को सही नक्शा करने का	

3

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं आदि के ह
	है, ना कि सर्वे नं. 59 व 138 के भूमि स्वामियों के बीच बटान आदि को लेकर है। 4/ अनावेदक शासन की ओर से कोई उपस्थित नहीं। 5/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का अवलोकन किया। यह प्रकरण नक्शा दुरुस्ती का है। अपर कलेक्टर ने इस आधार पर आवेदक का आवेदन निरस्त किया है कि आवेदक द्वारा खसरा नं. 59 के भूमि स्वामियों को पक्षकार नहीं बनाया है जबकि वह आवश्यक पक्षकार थे। इस आदेश की पुष्टि अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा की है। प्रकरण को देखने से यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में दोनों अधीनस्थ न्यायालय के जो आदेश हैं वह अभिलेख के विपरीत हैं, क्योंकि आवेदकगण द्वारा नक्शा दुरुस्ती का जो आवेदन दिया गया है वह सर्वे क्र. 138 की नक्शा दुरुस्ती के संबंध में दिया गया है। तहसीलदार ने जांच के दौरान सर्वे नं. 59 के समस्त भूमि स्वामियों को आहुत किए जाने के निर्देश दिए हैं। आदेश पत्रिका दिनांक 20.09.2012 के अनुसार हितबद्ध पक्षकारों के चस्पीदगी से तामील के उपरांत भी अनुपस्थिति रहने के कारण दिनांक 05.11.2012 को अपना जांच प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी को भेजा है। अनुविभागीय अधिकारी ने तहसीलदार के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए प्रकरण कलेक्टर को भेजा है। प्रकरण में कलेक्टर द्वारा उक्त प्रतिवेदनों के अतिरिक्त अधीक्षक भू-अभिलेख का प्रतिवेदन भी तलब किया गया है। अपर कलेक्टर के आदेश से स्पष्ट होता है कि उन्होंने उक्त् तथ्यों को पूर्णत: अनदेखा करते हुए आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार इस प्रकरण में आवेदक के आवेदन को निरस्त करना अनौचित्यपूर्ण एवं अवैधानिक कार्यवाही है। अपर आयुक्त द्वारा भी उक्त तथ्य को पूर्णत: अनदेखा किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं हैं। उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है एवं दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करते हुए अपर कलेक्टर विदिशा को यह प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि प्रकरण में तहसीलदार,	

पक्षकारों एवं आदि के ह
(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3171-एक/16 **जिला** - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	अनुविभागीय अधिकारी एवं अधीक्षक भू-अभिलेख के प्रतिवेदनों **को** दृष्टिगत रखते हुए नक्शा दुरुस्ती के संबंध में विधिसम्मत आदे**श** पारित करें। उभयपक्ष सूचित हों, अभिलेख वापिस हो। (3) **(एम.गोपाल रेड्डी)** **प्रशासकीय सदस्य**	